



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 854/अका./सम्बद्धता/2023

रायपुर, दिनांक : 04/10/2023


॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के अनुमोदनानुसार दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर जिला-रायपुर(छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिये अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	B. A. I (F.C., Sociology, Hindi Litt., Psychology, Political Sc., Economics, History) (New Course)	60	2023-24
2	B.Sc. Seat extension	40	
3	M.Sc.- Maths (Final Year)	30	

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 17-21/2023/38-2 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 21.06.2023 एवं कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 597/654/आउशि/अ.शै.प्र./2023 दिनांक 06.06.2023 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
07. जांच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में निरूक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
08. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,



उप कुलसचिव (अका.)


रायपुर, दिनांक 04/10/2023

पृ. क्रमांक 855 अका./सम्बद्धता/2023

प्रतिलिपि :-

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
04. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
05. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
06. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
07. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,

- 08 संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्यादित आदर्श नगर, कांके रोड, रांची-झारखंड
पिन नं. 834008-(पं.र.शु.वि.वि.परिसर, रायपुर)
- 09 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


कक्षा अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 275/अ/का./2023 शंभुपुर दिनांक 08/08/2023

निरीक्षण की तिथि : 19/08/2023

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.A.	इ.पी. समाजशास्त्र, हिन्दी	60 सीट	2023-24	निरंक
B.Sc.	भूगोल, राज. विज्ञान	40 सीट	—	—
M.Sc. final	Phy. Math. Comp. Sci.	(50+40) 30 सीट	—	—
	गणित			

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पूरी है।
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	6.177 (Intro premises)
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	35 lacs
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	वैध है।
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं का भवन है।
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	पूरी कक्षा उपलब्ध है।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	कक्षा उपलब्ध है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	उपलब्ध है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	प्रतिनभन 28 कोरान (नियुक्त शिक्षक) कम्प्यूटर-04 गणित-01 गणित-02 गणित-04 भौतिक-01 रसायन-01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	प्रयत्न पुस्तकों उपलब्ध
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं?		हाँ (कोई विशिष्ट शर्त उल्लेखित नहीं है)
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्तों के रूप में मान्य किया जा सके।		शुद्ध विद्यालय स्तर पर शिक्षक प्रयत्न ऐश्या में प्रस्था हैं इन्हें परिनिर्माण 28 में नियुक्ति किया जाना आवश्यक है

निरीक्षण समिति के
संयोजक का नाम एवं
हस्ताक्षर

प्रो. शैल शर्मा
Shail Sharma
19/8/2023


दिनांक 19/8/2023

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

- 1.
2.  Dr. B. S. Thakur
3.  19/8/23
Prof. B. Husan
4.  Dr. L. S. Gajjar

प्रति,

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)




7/9/19